संख्या-13/2025/55/60-1-2025

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 20 मार्च**, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक् आपके पत्र संख्या-785/निदे0म0क0/लेखा-बजट/पुनर्विनियोग/2024-25, दिनांक 21.02.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण के संचालन हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश का उपभोग किये जाने हेतु लेखाशीर्षक-2235-02-102-01-12 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण के सुसंगत मानक मदों में रू0 505.31 लाख (केन्द्रांश) एवं लेखाशीर्षक-2235-02-102102-89-12 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (समानुपातिक राज्यांश) रू0 336.87 लाख अर्थात इस प्रकार कुल रू0 842.18 लाख (रूपये आठ करोड़ बयालीस लाख अट्ठारह हजार मात्र) (के0.60+रा.40 के0.+रा.) की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4) जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत राज्य सरकार/भारत सरकार की गाइडलाइन में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021020112 (विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3,03,71,000 (रुपये तीन करोड़ तीन लाख इकहत्तर हजार मात्र)
2	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	41 भोजन व्यय	2,01,60,000 (रुपये दो करोड़ एक लाख साठ हजार मात्र)
	कुल			**5,05,31,000 (रुपये पाँच करोड़ पाँच लाख इकतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021028912 (विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,02,47,000 (रुपये दो करोड़ दो लाख सैंतालीस हजार मात्र)
2	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	41 भोजन व्यय	1,34,40,000 (रुपये एक करोड़ चौंतीस लाख चालीस हजार मात्र)
	कुल			**3,36,87,000 (रुपये तीन करोड़ छत्तीस लाख सत्तासी हजार मात्र)**
	महायोग			**8,42,18,000 (रुपये आठ करोड़ बयालीस लाख अठारह हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी बी0एम0-9 प्रपत्र पर आवंटित संख्या-RE-budget-1-600-E-4-241-X-2024-25, दिनाँक 18.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

संख्या-13/2025/55(1)/60-1-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।